राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।

क्रमांक :–एफ–4 / मुख्या / याता. / लेखा(23) / 2016 / 472 दिनांक :– 19-10-2016

कार्यालय आदेश

परिवहन निगम की आय में वृद्धि करने की दृष्टि से उपलब्ध संसाधन यथा वाहन बेडे का अधिकतम उपयोग कर अधिकाधिक किमी. संचालित कर आय में वृद्धि करने का प्रयास करने के लिए इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः एफ4 / मुख्या. / याता. / लेखा / 2015 / 1551 दिनांक 22.12.2015 के द्वारा बस सारथी योजना 2016 लागू की गयी है। उक्त योजना की समीक्षा की गई तथा उक्त योजना के अन्तर्गत मुख्य प्रबन्धकों से प्राप्त सुझाव/प्रस्तावों का अध्ययन किया गया, अध्ययन के उपरान्त इस योजना के क्रम में आदेश क्रमांकः एफ4 / मुख्या. / याता. / लेखा / 2016 / 273 दिनांक 24.06.2016 के द्वारा आंशिक संशोधित दिशा निर्देश जारी किये गये थे। उक्त योजना के लक्ष्यों में संशोधन उपरान्त भी बस सारथी संख्या में वृद्धि नहीं होने के कारण लक्ष्य निर्धारण की प्रकिया में आंशिक संशोधन कर निम्नानुसार यात्रीभार में निश्चित वृद्धि के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

1. आगारीय समिति सम्बन्धित माह के गत तीन वर्षो के अर्जित औसत यात्रीभार में निम्नानुसार निश्चित वृद्धि कर राजस्व व यात्री भार का लक्ष्य निर्धारित करेगी :–

क्र0 सं0	(वर्गान्तर श्रेणी) गत तीन वर्षो का सम्बधित माह का अर्जित औसत यात्रीभार प्रतिशत	निर्धारित वृद्धि दर (प्रतिशत)	विशेष विवरण (लक्ष्य यात्रीभार)
1	00 – 50	10	न्यूनतम 60 %
2	51 – 55	09	न्यूनतम 60 % एवं निर्धारित वृद्वि अनुसार 64 % तक
3	56 – 60	08	न्यूनतम 64 % एवं निर्धारित वृद्वि अनुसार 68 % तक
4	61 – 65	07	न्यूनतम 68 % एवं निर्धारित वृद्वि अनुसार 72 % तक
5	66 – 70	06	न्यूनतम 72 % एवं निर्धारित वृद्वि अनुसार 76 % तक

लक्ष्य निर्धारण में निम्न बिन्दुओं का समावेश किया जाता हैः–

I. उक्त योजना में किसी भी शिड्यूल का लक्ष्य 60 प्रतिशत यात्री भार से कम नहीं दिया जावें।

II. उक्त योजना में गत तीन वर्षो के सम्बन्धित माहों का औसत यात्रीभार लिया जावेगा, ना की 36 माह का औसत।

III. उक्त योजना में गत तीन वर्षो में यदि कोई शिड्यूल संचालित नही है, अथवा एक या दो वर्ष से ही शिडयूल संचालित है, तो ऐसी स्थिति में वर्तमान ट्रेन्ड एवं गत एक या दो वर्ष के औसत यात्रीभार में उपरोक्त वर्गान्तरण अनुसार वृद्धि कर शिड्यूल का लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा।

IV. उक्त योजना में आगारीय समिति सम्बन्धित माह के दौरान आगार क्षेत्र में आयोजित होने वाले मेले महत्वपूर्ण त्यौहार, पर्व, होली, दीपावली अथवा सम्भावित यात्री उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए आयप्रति किमी व यात्रीभार लक्ष्य में वृद्धि कर सकेगी।

V. यात्री किराये में वृद्धि होने पर उक्त योजना में उसी अनुपात में आय प्रति किमी व यात्री भार में वृद्धि की जायेगी।

2. उपरोक्तानुसार लक्ष्यों का निर्धारण कर उक्त बस सारथी योजना सभी आगारों में लागू की जाती है।
3. यह योजना 70 प्रतिशत यात्रीभार तक की अन्तर्राज्यीय मार्गों की साधारण, एवम् द्रुतगामी सेवाओं पर भी लागू होगी।

उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना की जावें एवं लक्ष्य निर्धारण में किसी प्रकार की शंका/समस्या हो तो कार्यकारी निदेशक (यातायात) से सम्पर्क करें।

पुनः निर्देशित किया जाता है कि अन्य समस्त कार्यवाही व शर्ते पूर्व में जारी आदेश कमांक 1551 दिनांक 22.12.2015 व आदेश क्रमांक 273 दिनांक 24.06.2016 के अनुसार यथावत रहेगी।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू किये जाते है।

(राजेश यादव)
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांकः एफ3/मु./याता./लेखा(23)/2016/472 दिनांकः 19-10-2016

प्रतिलिपि न्म्नि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित हैः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान परिवहन निगम मु.जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक महोदय, राजस्थान परिवहन निगम मु.जयपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष .... राजस्थान परिवहन निगम मु.जयपुर।
4. महा प्रबन्धक/सयुंक्त महा प्रबन्धक .... राज.परिवहन निगम जयपुर।
5. उप महा प्रबन्धक .... राजस्थान परिवहन निगम जयपुर।
6. उप महा प्रबन्धक (सांख्यिकी),नोडल अधिकारी राजस्थान परिवहन निगम जयपुर।
7. उप महा प्रबन्धक (आई.टी.) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि सभी सम्बन्धितों को ई–मेल प्रेषित करें एवं निगम वेबसाइट पर उपरोक्त आदेश उपलब्ध करावे
8. कार्यकारी प्रबन्धक (निरीक्षण/संस्थापन/संचालन/जनसम्पर्क) राजस्थान परिवहन निगम मुख्यालय.जयपुर।
9. मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान परिवहन निगम .... आगार।
10. प्रबन्धक (लेखा/यातायात/प्रशासन/संचालन) राजस्थान परिवहन निगम .... आगार।
11. आदेश/रक्षित पत्रावली।

19/X/16

(सोहन लाल धानका)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)